1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त गुडगांव।

2. [illegible]

विषयः न्यूनतम वेतन को उपभेक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा दिनांक 01–01–2015 से बढ़ोतरी बारे पत्र।

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित है कि सरकार की अधिसूचना दिनांक 27–6–2007 द्वारा भिन्न–भिन्न रोजगारों में दिनांक 01–07–2007 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और यह कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं । इन आंकड़ों में हुई बढ़त / घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् (जनवरी व जुलाई) न्यूनतम वेतन में बढ़त / घटत होती रहती है ।

अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, हरियाणा से जुलाई 2014 से दिसम्बर, 2014 तक हरियाणा राज्य कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत घटत / बढ़त की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निम्न प्रकार से है :–

जुलाई, 2014	972 (2100)
अगस्त, 2014	976 (2108)
सितम्बर, 2014	977 (2110)
अक्तूबर, 2014	980 (2117)
नवम्बर, 2014	978(2112)
दिसम्बर, 2014	974 (2104)
औसत	976 (2109)

जून, 2014 को समाप्त हुई अर्धवर्ष में मूल्य सूचकांक 2034 थे । अब मास दिसम्बर, 2014 में अर्धवर्ष की समाप्ति के बाद मूल्य सूचकांक 2109 हो गया है इस प्रकार मूल्य सूचकांक में 75 अंकों की बढ़ौतरी हुई है । हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27–06–2007 जो कि प्रथम जुलाई, 2007 से लागू है, में न्यूनतम वेतन की तटस्थीकरण दर 2.31 रुपए प्रतिअंक है जिस अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के तहत सभी श्रेणी के श्रमिकों में न्यूनतम वेतनों मे दिनांक 01–01–2015 से मासिक रुपए 173.25 और दैनिक रुपए 6.66 की बढ़ौतरी हुई है । अतः अब दिनांक 01–01–2015 से हरियाणा राज्य में सभी श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरें पूर्व की भांति निम्न प्रभाव से देय बनती है :–

कम संख्या	श्रेणी	मसिक वेतन	दैनिक वेतन
1.	अकुशल	रु0 5812.75	रु0 223.56
2.	अर्धकुशल (ए)	रु0 5942.75	रु0 228.56
	(बी)	रु0 6072.75	रु0 233.56
3.	कुशल (ए)	रु0 6202.75	रु0 238.56
	(बी)	रु0 6332.75	रु0 243.56
4.	उच्च कुशल	रु0 6462.75	रु0 248.56

उपरोक्त के अतिरिक्त ईट भटठा उद्योग के रेटस में बढ़ौतरी निम्न प्रकार से हैं:–

क्रम0 सं0	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	331.21 रूपये	372.61 रूपये
2.	भराई वाला(भट्ठें में ईटों की भराई)	(क) 149.04 रूपये प्रति हजार ईट भट्ठे में भरना परन्तु खेत से भट्ठे तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 13.24 रूपये प्रति हजार प्रेत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर ही लागू होंगी।	
		(ख) एक हजार 2मीटर दूरी तक 122.54 रूपये टैम्पू या पशु चलित रेहड़ी या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईटे भट्ठों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 13.24 रूपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।	
3.	केरीवाला	26.49 रूपये प्रति एक हजार ईट	
4.	निकासी वाला	109.29 रूपये प्रति एक हजार ईट	
5.	चुनाई वाला	6202.75 रूपये प्रति मास	
6	मिस्त्री/कॉलमैन/जलाई वाला	6202.75रूपये प्रति मास	

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आप अपने–2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त निर्धारित दरों को पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें।

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन कमांक : 6316 – 6381 दिनांक: 13/2/15

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. निजी सचिव, म0 मंत्री को मुख्य मंत्री हरियाणा के सूचनार्थ।

निदेशालय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ

पृ0 कमांकः– टी/एपीपी/एस/एक्ट–6/11/पार्ट– III/137 दिनांकः– 18-6-15

उपरोक्त की एक प्रति सभी 21 प्रधानाचार्य/सहायक शिक्षुता सलाहकारों को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यावाही हेतू भेजी जाती है:–

1. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगाव, हिसार, झज्जर एट गुढा, जीन्द, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ, पंचकुला, पानीपत, रिवाडी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, भेडिया खेडा, नूहं, पलवल तथा यमुनानगर,।
2. (नोडल अधिकारी) वैबसाईट पर डालने हेतू।

सहायक निदेशक शिक्षुता
कृतेः महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा चण्डीगढ।

HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY

Endst. No.EA-8-2015/ 22815 Dated: 15/12/15

A copy of the communication of Principal Govt. Industrial Training Institute, Haryana, Chandigarh Endst. No.T/APP/S/ACT-6/11/Part-III/137 dated 18.06.2015 is forwarded to all the field offices of HUDA/all Heads of Branches at HUDA (HQ) for compliance to increase in apprenticeship stipend.

Supdt.(E)
for Chief Administrator, HUDA
Panchkula.